



2026:AHC-LKO:11844-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

लखनऊ

आपराधिक रिट-जनहित याचिका संख्या - 23569 वर्ष 2016

मऊ घटना के संबंध में याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : स्वतः संज्ञान

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : अनुराग वर्मा (ए.जी.ए.) के साथ अजीत सिंह, राज
कुमार सिंह

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह,

1. प्रस्तुत स्वप्रेरणा याचिका में, न्यायालय द्वारा दिनांक 20.11.2024 को एक आदेश पारित किया गया था, जो इस प्रकार है:

"1. दिनांक 19.09.2016 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने एक महिला के कथित सामूहिक बलात्कार और उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिए जाने से संबंधित समाचार का स्वतः संज्ञान लिया।

2. वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, दिनांक 02.02.2024 के आदेश द्वारा, भारत सरकार के रेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के साथ इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की एक प्रति भी संलग्न थी, जिसमें मंत्रालय से यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि चलती ट्रेनों में और मंत्रालय द्वारा संचालित रेलवे स्टेशनों पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विद्वान अपर

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सरकारी अधिवक्ता को यह निर्देश दिया गया था कि वे इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करें कि पीड़ित को मुआवज़े का एक हिस्सा अब तक क्यों नहीं दिया गया है।

एसपीएलएडी संख्या 146 वर्ष 2026

2

3. उक्त आदेश के अनुपालन में, रेलवे की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चलती ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया है। इन उपायों में रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित करना, कुछ ट्रेनों की गैलरियों में सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था करना, घोषणाओं, बैनरों और पोस्टरों के माध्यम से यात्रियों में जागरूकता कार्यक्रम चलाना ताकि यात्रा करने वाले लोगों को संवेदनशील बनाया जा सके, यात्रियों के यात्रा क्षेत्र में अधिकतम दृश्यता सुनिश्चित करना ताकि यात्रियों में विश्वास पैदा हो सके, और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए जी.आर.पी. तथा सिविल पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि सुरक्षा और अन्य सुविधाओं के लिए 24x7 काम करने वाली आपातकालीन टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 139 शुरू कर दी गई है, और इस संबंध में आगे की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही, महिला यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से 'मेरी सहेली' योजना शुरू की गई है और इसे सभी प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्तों तक पहुँचाया गया है इस योजना में ऐसी सुरक्षा सुनिश्चित करने की रणनीति भी बताई गई है।

4. तथापि, उक्त अनुपालन शपथ-पत्र, रेलवे अधिनियम, 1989 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 123 (c) के अंतर्गत अप्रत्याशित घटना की परिभाषा के साथ पठित धारा 124- ए के प्रावधानों के अनुसार, पीड़ित को मुआवज़े के भुगतान के संबंध में मौन है।

5. राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित को 75% मुआवज़ा पहले ही दिया जा चुका है, और 25% मुआवज़ा मुकदमे के समापन पर दिया जाएगा; और चूंकि मुकदमा अभी भी लंबित है, इसलिए शेष राशि का भुगतान अब तक नहीं किया जा सका है।

6. उपरोक्त को देखते हुए, रेलवे के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे अगली तारीख तक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पीड़ित को मुआवज़ा दिए जाने से संबंधित अपने निर्देश पूरे कर लें।

7. याचिका को 08.01.2025 को सूचीबद्ध करें।"

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. इसके अनुसरण में, रेलवे के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पीड़ित के बैंक खाते में 4,25,000/- रुपये की मुआवज़ा राशि जमा कर दी गई है। उन्होंने इस संबंध में प्राप्त निर्देशों को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया है।

3. तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जिसमें 20.11.2024 के आदेश में, हमने रेलवे द्वारा एसपीएलएडी संख्या 146 वर्ष 2026

2

इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर गौर किया था और जहाँ तक विचाराधीन मुआवज़े का सवाल है, जिसमें राज्य ने 75% मुआवज़ा दे दिया है और शेष 25% मुआवज़ा ट्रायल के समापन पर दिया जाएगा, और अब, जबकि रेलवे ने रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत मुआवज़ा दे दिया है वर्तमान आपराधिक- पी.आई.एल की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह,) (न्यायमूर्ति मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली,)

16 फरवरी, 2026

पी. श्री./हर्षिता

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।